राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 14/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017 निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम मनोज पुत्र चुन्नीलाल जाति कुमावत नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मनोज पुत्र चुन्नीलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2372 कुल रकबा 27.99 हैक्टेयर में से रकबा 2.0 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2074 में बाड़ लगाकर, पक्का मकान, कुआ तथा कास्त (बाजरा 1.0 है0) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुई तथा जवाब पेश कर कथन किया की में भूमिहीन व्यक्ति हुॅ तथा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है । एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकार्ड में गैर मु. खारड़ा दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2372 कुल रकबा

तहसील कुचामन सिटी

27.99 हैक्टेयर गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 2.0 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगाान 10 का पच्चास गुणा से राशि 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को फसल निलामी व गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी